



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271947
CG-DL-E-21042026-271947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1902]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1902]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1973(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपशी में एनएच-03 पर लेह-सरचू-मनाली मार्ग के किलोमीटर 423.950 पर (मनाली को शून्य मानकर) सिंधु नदी के ऊपर 60 मीटर स्पैन वाले एक स्थायी पुल का निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपशी में एनएच-03 पर लेह-सरचू-मनाली मार्ग के किलोमीटर 423.950 पर (मनाली को शून्य मानकर) सिंधु नदी के ऊपर 60 मीटर स्पैन वाले एक स्थायी पुल के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप प्रभागीय न्यायाधीश, खारू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH3 के कि.मी 423.87 से कि.मी 424.087 तक	लद्दाख	लेह लद्दाख	खारू	1 उपशी

[फा. सं. Secy/Rev/UTL/2021(123)]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1973(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Standalone 60 m Span Major Permanent Bridge at KM 423.950 on Road Leh-Sarchu-Manali (Taking Manali as Zero) on NH-03 over Indus River at Upshi in the Union Territory of Ladakh.

SCHEDULE

Land acquisition for Construction of Standalone 60 m Span Major Permanent Bridge at KM 423.950 on Road Leh-Sarchu-Manali (Taking Manali as Zero) on NH-03 over Indus River at Upshi in the Union Territory of Ladakh.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Magistrate, Kharu	NH3 KM 423.87 TO KM 424.087	Ladakh	LEH LADAKH	Kharu	1 Upshi

[F. No. Secy/Rev/UTL/2021(123)]

SHAIKH AMINKHAN, Director